झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1030 वर्ष 2017

किशन महाराज उर्फ कृष्ण प्रसाद गिरि .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. रखो हरि गोस्वामी
2. रवीन्द्र गोस्वामी
3. सिकंदर गोस्वामी
4. संतुष्टि देवी .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री गौतम कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः–

4 / 08.05.2017 याचिकाकर्ता के वकील को सुना।

विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में दो विक्रय विलेखों को जोड़ने की माँग करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 27 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका दिनांक 10 जून, 2016 को खारिज कर दिया है। कहा जाता है कि प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा निष्पादित किए गए दोनों विक्रय विलेख दिनांक 24 जुलाई, 2007 का है और वादी / प्रत्यर्थी सं0 1 के द्वारा दाखिल किए टाइटल वाद सं0 55 / 2009 से बहुत पहले से `अस्तित्व में थे। याचिकाकर्ता ने यह दलील दी कि बिक्री विलेखों की प्रमाणित प्रति

20 दिसंबर, 2016 के निर्णय और डिक्री के बाद जारी की गई थी। वादी/प्रतिवादी द्वारा यह कहते हुए दलील का विरोध किया गया था कि निचली अदालत के समक्ष और साथ ही साथ अपील के ज्ञापन में इस आशय का कोई अभिवचन नहीं था। इसलिए अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने का सवाल ही नहीं उठता। विद्वान अपीलार्थी न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सी0पी0सी0 के आदेश 41 नियम 27 के संदर्भ में अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य को प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा अपनी ओर से की गई कमियों को दूर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया। बिक्री विलेखों की प्रतियां भी पूरक हलफनमे के साथ संलग्न की गई हैं। आदेश 41 का नियम 27 इस प्रकार है :

''27. अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना –(1) अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे। किन्तु यदि–

(क) उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इनकार कर दिया है जो ग्रहण किया जाना चाहिए था, अथवा

(कक) वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है यह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था जब वह डिक्री पारित की गई थी जिसके विरूद्ध अपील की गई है अथवा

(ख) अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण

हेतुक के लिए करे, तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा का किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अपील न्यायालय अनुज्ञा दे देता है वहाँ न्यायालय ऐसे साक्ष्य के ग्रहण किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

अपीलार्थी के मामले में यह संभव नहीं हो सकता है कि उचित तत्परता के बावजूद ये विक्रय विलेख उस समय उपलब्ध नहीं थे जब उनकी ओर से वाद का बचाव किया जा रहा था क्योंकि वाद 2009 में संस्थित किया गया था जबकि पंजीकृत विक्रय विलेख वर्ष 2007 के हैं। ऐसे कोई भी पक्ष को रजिस्ट्रार के संबंधित कार्यालय से बिक्री विलेखों के बारे में पर्याप्त जांच करने की उम्मीद की जाती है। याचिकाकर्ता यह भी नहीं दिखा पाया है कि लिखित बयान में इस आशय का कोई अभिवचन दिया गया था। यहाँ उपर उद्धृत आदेश 41 नियम (क) या (कक) की सामग्री यहाँ अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं से संतुष्ट नहीं है।

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भी यह प्रभावित करने का प्रयास किया है कि पक्षकारों के बीच विवाद में मुद्दे के निर्णय के लिए बिक्री विलेख प्रासंगिक होंगे और अपीलीय चरण में भी अनुमति दिए जाने के लिए उपयुक्त हैं। आदेश 41 के नियम 27 (1) (ख) के अनुसार यह विवेकाधिकार अपीलीय न्यायालय के लिए खुला है, यदि अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए किसी दस्तावेज को पेश करने या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता होती है या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए दर्ज किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से आवेदन को खारिज करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में दर्ज कारण किसी भी अवैधता, दुर्बलता या क्षेत्राधिकार

संबंधी त्रुटि से प्रभावित नहीं हैं जिसके कारण हस्तक्षेप किया जाए। इसलिए यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। परिणामस्वरूप, लंबित आई0ए0 को खारिज किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)